

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 8 अप्रैल, 2002 (चैत्र 18, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री राजेन्द्र भारती (दलिया), नरेन्द्र सिंह तोमर, अनुप मिश्रा, सदस्य, ग्वालियर के डबरा शुगर मिल द्वारा कृषकों को भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री ब्रजमोहन बद्दीनारायण, कमल पटेल, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, देवास जिले के ग्राम आमला के निवासियों पर पुलिस द्वारा झूठी शिकायत पर कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री प्रभुदयाल गोहलोत, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का चतुर्थ, पंचम, षष्ठम्, सप्तम्, अष्टम् तथा नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विधेयक कार्य

(1) श्री राजा पटैरिया, राज्यमंत्री, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर विधेयक, 2002 (क्रमांक 8 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 9 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित
समय
2 घण्टे

(3) श्री महेन्द्र बौद्ध, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि इन्चीर पुलिस आयुक्त विधेयक, 2002 (क्रमांक 1 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(4) श्री वनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 5 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 7 अप्रैल, 2002

डॉ. प. के. प्यासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.